

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 43/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (संक्षेप में चीन पीआर) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "ग्लास फाइबर और इससे बनी वस्तुएं" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7019 के अंतर्गत आती हैं के आयात पर अधिसूचना संख्या 15/04/2015-डीजीएडी, दिनांक 06 जुलाई, 2016, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में चीन पीआर में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर और इससे बनी वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क को लगाए जाने की सिफारिश की है।

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने चीन पीआर में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर और उससे बनी वस्तुओं पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 01 सितम्बर, 2016, जिसे दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/25/2017-डीजीएडी, दिनांक 12 फरवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था के तहत, ग्लास फाइबर और उससे बनी वस्तुओं पर लगे प्रतिपाटन शुल्क के सर्कमवेंशन (circumvention) के मामले में यह निर्धारित करने के लिए जांच कार्य शुरू किया था कि क्या चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर और उनसे बनी वस्तुओं के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 48/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 01 सितम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 846 (अ), दिनांक 01 सितम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित चॉपड स्ट्रैंड मैट्स या सीएसएम (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7019 में आते हैं, के भारत में आयात किए जाने पर भी लागू किए जाने की जरूरत है।

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/25/2017-डीजीएडी, दिनांक 30 जुलाई, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

(क) चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर के आयात पर अधिसूचना संख्या 48/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 01 सितम्बर, 2016 के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 25 (3) के अनुपालन में मैसर्स एशिया कम्पोजिट मेटेरियल (थाईलैंड) से सीएसएम के निर्यात के माध्यम से सर्कमवेंट (Circumvent) कर दिया गया था;

(ख) एसएम का निर्यात जांच की अवधि के दौरान पाटित मूल्य पर किया गया था

(ग) थाईलैंड से सीएसएम का किए गए निर्यात के कारण चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर पर सीमा शुल्क की अधिसूचना संख्या 48/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 01 सितम्बर, 2016 के तहत अपनाए जा रहे वर्तमान पाटनरोधी उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

और उन्होंने भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 01 सितम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 846(अ), दिनांक 01 सितम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर और उससे बनी वस्तुओं के आयात पर लगाए जा रहे वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु पर भी लगाए जाने की सिफारिश की है; अतः अब

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 27 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1), (1क) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट प्रकार की है और जो कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष के अंतर्गत आती हैं और कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और कॉलम (8) में तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रतिशत के लागू करने पर प्राप्त राशि के बराबर प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	शीर्ष	वस्तु का विवरण	प्रकार	मूलतः उत्पाद का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	सीआईएफ मूल्य का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	7019	ग्लास चाप्ड स्ट्रैंड्स मैट्स (सीएसएम)	ग्लास चाप्ड स्ट्रैंड्स मैट्स (सीएसएम)	थाईलैंड	थाईलैंड	एशिया कम्पोजिट मटेरियल्स (थाईलैंड) कं. लि.	एशिया कम्पोजिट मटेरियल्स (थाईलैंड) कं. लि.	47.15
2	7019	ग्लास चाप्ड स्ट्रैंड्स मैट्स (सीएसएम)	ग्लास चाप्ड स्ट्रैंड्स मैट्स (सीएसएम)	थाईलैंड	थाईलैंड	एशिया कम्पोजिट मटेरियल्स (थाईलैंड) कं. लि.	कोई भी	47.15

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से 31 अगस्त, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी। बशर्ते कि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है तो और प्रतिपादन शुल्क का भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना में लागू विनिमय की दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत समय-समय पर संशोधित, में विनिर्दिष्ट हो और विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वही तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र को प्रस्तुत किए जाने की तारीख होगी।

(फाइल संख्या 354/314/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार